



—2286711

2286709

राज्य नगरीय विकास अभिकरण उ०प्र०

नव घेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ—226001

website—www.sudaup.org

पत्रांक— ३०६९ / २४१ / एनयूएलएम / तीन / २००१(ई०एस०टी०एण्डपी०) दिनांक—०५/११/१५

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण,
उत्तर प्रदेश।
2. नगर आयुक्त / परियोजना निदेशक / सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर,
नगर निगम,
आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, वाराणसी, सहारनपुर, कानपुर नगर, गुरादाबाद, बरेली,
गोरखपुर, झांसी, लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ तथा फिरोजाबाद।
3. परियोजना निदेशक / सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर,
नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत
लोनी, मोदीनगर (गाजियाबाद), अकबरपुर (अम्बेडकरनगर), अमरोहा, आजमगढ़,
बदायूँ, बहराइच, बलिया, बांदा, बस्ती, बुलन्दशहर, खुर्जा, सम्बल, चौराई,
शिकोहाबाद, मुगलसराय, बड़ौत (बागपत), देवरिया, एटा, इटावा, फैजाबाद,
फरुखाबाद, फतेहपुर, गाजीपुर, गोण्डा, हापुड़, हरदोई, हाथरस, उरई, जौनपुर,
कासगंज, लखीमपुरखीरी, ललितपुर, महाराजगंज, मैनपुरी, मथुरा, मिर्जापुर,
मुजफ्फरनगर, पीलीगीत, रायबरेली, रामपुर, शाहजहांपुर, शामली, सीतापुर, सुल्तानपुर,
उन्नाव, औरैया, बागपत, बलरामपुर, नवाबगंज (बाराबंकी), चिन्नकूट धाम कर्वी, दादरी
(गौतमबुद्धनगर), हमीरपुर, विजनौर, कन्नौज, पड़रौना (कुशीनगर), महोबा, मऊ,
प्रतापगढ़, खलीलाबाद (संतकबीरनगर), सिद्धार्थनगर, राबूटसगंज (सोनभद्र), अमेठी,
झानपुर (भदोही), चन्दौली, अकबरपुर (कानपुर देहात), मंझनपुर (कौशाम्बी) तथा
मिना (श्रावस्ती)।

विषय : ई०एस०टी०एण्डपी० के अन्तर्गत कौशल प्रशिक्षण केन्द्र निरीक्षण हेतु गठित समिति में
संशोधन के संबंध में।

महोदय,

राष्ट्रीय शहरी आजीविका भिशन के घटक कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम
से रोजगार (ई०एस०टी०एण्डपी) के अन्तर्गत शहरी गरीबों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किये
जाने हेतु निविदा के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं (संस्थाओं) को इम्पैनल्ड किया
गया है। कौशल प्रशिक्षण कार्य किये जाने हेतु सूडा के पत्रांक
883 / २४१ / NULM / तीन / २००१(EST&P), दिनांक—०८.०६.२०१५ के द्वारा विस्तृत दिशा
निर्देश जारी किये जा चुके हैं।

उक्त विस्तृत दिशा निर्देश के पृष्ठ संख्या- 4 के प्रस्तर-6 में प्रशिक्षण केन्द्र के निरीक्षण हेतु एक समिति का प्रावधान किया गया है। इस समिति में संशोधन किया जा रहा है जो कि निम्नवत है:-

| क्र०स० | पदनाम | सदस्यता |
|--------|--|--------------|
| 1 | परियोजना निदेशक, सूडा / शहर परियोजना अधिकारी | अध्यक्ष |
| 2 | जिला सेवायोजना अधिकारी | सदस्य |
| 3 | परियोजना अधिकारी / सहाय परियोजना अधिकारी | सदस्य संयोजक |
| 4 | शहर मिशन प्रबन्धक(Financial Inclusion & Micro Enterprises जहाँ पर नहीं है, वहाँ पर सामाजिक विकास अवस्थापना प्रबन्धक सदस्य होंगे। | सदस्य |

उपरोक्तानुसार समिति में संशोधन करते हुए प्रशिक्षण केन्द्रों के निरीक्षण की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

सूडा के पत्रांक-833 / 241 / एनयूएलएम / तीन / 2001(ई०एस०टी०एण्ड पी०), दिनांक 08.06.2015 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये, शेष प्रावधान यथावत रहेंगे।

भवदीय,

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, नगर विकास एवं नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ०प्र० शासन।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, लखनऊ, उ०प्र०।
3. समर्त परियोजना अधिकारी / सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०।
4. वेब मास्टर, सूडा, को ई-मेल से प्रेषण एवं सूडा की वेब साइट पर अपलोड करने हेतु।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक